भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2979
दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक वस्त्रों को बढ़ावा देना

2979 श्री सौमित्र खानः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पारंपरिक वस्त्र उद्योग के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल पारंपरिक वस्त्रों में समृद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पारंपरिक वस्त्रों से समृद्ध राज्यों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षेत्र के समृद्ध पारंपरिक वस्त्र उद्योग को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) पारंपरिक वस्त्र उद्योग के विकास के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार, विशेषकर पश्चिम बंगाल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): सरकार ने हथकरघा के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता के सृजन और निर्माण तथा पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को संरक्षित करने के लिए बुनकर सेवा केंद्र कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कांचीपुरम, बैंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, मेरठ, नागपुर और पानीपत में डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम, 1999 के तहत पारंपरिक डिजाइन और पैटर्न का संरक्षण भी कर रहा है। यह मंत्रालय जीआई अधिनियम के तहत डिजाइन/उत्पादों को पंजीकृत करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य हथकरघा के पारंपरिक वस्त्रों में समृद्ध हैं।

हथकरघा बुनकरों की संख्या निर्धारित करने और पारंपरिक वस्त्रों अर्थात हथकरघा समृद्ध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वर्ष 2019 में अखिल भारतीय संगणना आयोजित की गई थी।

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में निम्नलिखित योजनाए कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य अवसंरचना विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा,

- बुनकर मुद्रा/रियायती ऋण योजना के तहत, व्यक्तिगत बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि के 20% पर, अधिकतम 25,000/- रुपये की शर्त के अध्यधीन मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा हथकरघा संगठनों के लिए 20 लाख रूपये, 7% तक ब्याज छूट और तीन साल की अवधि के लिए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी शुल्क प्रदान किया जाता है।
- बुनकरों और कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन-बोर्ड करने संबंधी कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेचने में सक्षम हो सकें। अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को जेम (GeM) पोर्टल पर ऑन-बॉर्ड किया जा चुका है।
- बुनकरों को इंडियाहैंडमेड पोर्टल (indiahandmade portal) के माध्यम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा दी जाती है जिसके लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा 23 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को नीतिगत फ्रेमवर्क के तहत एक साथ जोड़ा गया है।
- हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन कर रहा है। 2023-24 के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/इवेंट्स का आयोजन किया है। इसके अलावा, बुनकरों हेतु अपने उत्पादों की मार्केटिंग और उन्हें बेचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।
- उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न राज्यों में 160 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

(ङ): निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। निधियां राज्य सरकारों और अन्य हथकरघा संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं।

*****